

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

संकल्प

8959 (म)

4/10/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक-31.03.2020 तक) में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भवनों (राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं वर्ष 2010 के बाद बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि० (BMSICL) द्वारा निर्मित भवनों को छोड़कर) का अनुरक्षण एवं रख-रखाव से संबंधित कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने के संबंध में।

भवन निर्माण विभाग के कार्य दायित्वों में गुणात्मक वृद्धि के आलोक में दिनांक-15.01.2019 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आधार पर विभागीय संकल्प सं०-959(म) दिनांक-25.01.2019 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं रख-रखाव संबंधी समस्त कार्य संबंधित विभागों के अधीन गठित निगमों के द्वारा ही कराया जाय।

2. उक्त के क्रम में स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-523, दिनांक-30.04.2019 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत गठित बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि० (BMSICL) अभी शैशवावस्था में है तथा विभाग द्वारा इसे सुदृढ़ करने की कार्यवाही की जा रही है, जिसे वित्तीय वर्ष-2019-20 की अवधि तक इतना विकसित कर लिया जायेगा कि यह निगम स्वास्थ्य विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत/रख-रखाव की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकेगा। स्वास्थ्य सेवाएँ आवश्यक सेवा है तथा इसके अन्तर्गत मिलने वाली सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत/रख-रखाव संबंधी कार्य ससमय पूरा कराया जा सकें।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-25.09.2019 को आहूत बैठक में मद संख्या-6 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य भवनों (राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं वर्ष 2010 के बाद बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि० (BMSICL) द्वारा निर्मित भवनों को छोड़कर) के अनुरक्षण एवं रख-रखाव से संबंधित सभी कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 (दि०-31.03.2020 तक) में भवन निर्माण विभाग द्वारा पूर्ववत् कराया जायेगा। दिनांक-01.04.2020 से पुनः स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भवनो का समस्त कार्य (चिकित्सा महाविद्यालय सहित) पूर्णरूपेण स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत गठित बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि० (BMSICL) के माध्यम से कराया जायेगा।

4. इस संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प-959(म) दिनांक-25.01.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(वन्द्रशेखर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

कृ०पू०उ०.....

ज्ञापांक-भवन/स्था0-02-विविध-31/2018

8959 (1)

पटना/दिनांक:- 4/10/19

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हाठ कॉपी एवं सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-भवन/स्था0-02-विविध-31/2018

8959 (2)

पटना/दिनांक:- 4/10/19

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-भवन/स्था0-02-विविध-31/2018

8959 (3)

पटना/दिनांक:- 4/10/19

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/निदेशक, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन कोषांग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

- 33 -

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक-8332 दिनांक-13.09.2019 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-25.09.2019 में मद संख्या-06 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

प्र० प्रमुख, च० लि० वि० का न्यायमन्त्रालय
न० प्र० से० के० ५४३७
प्रति,
दिनांक २६-९-१९

6. वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक-31.03.2020 तक) में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भवनों (राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं वर्ष 2010) के बाद बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि० (BMSICL) द्वारा निर्मित भवनों को छोड़कर) का अनुरक्षण एवं रख-रखाव से संबंधित कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने के संबंध में।

6. स्वीकृत।

32
25.9.19
(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

५४३७/११९
चंसलर

५४३७/११९

२७/९/१९
७४३

७४३७/११९

२७/९/२०१९

ड०. स्थापना-२

२७/९/१९